

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल - 462021  
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651  
ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.1/एम./49/2009/ 1398  
प्रति,

भोपाल दिनांक 3-10-09


समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
मध्यप्रदेश

विषय:-स्कूल शिक्षा विभाग में एवं अन्य विभागों में स्कूलों में कार्यरत प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति हेतु अग्रेषण किए जाने विषयक ।

—0—

विषयान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति हेतु स्कूलों में कार्यरत प्राचार्यों / व्याख्याताओं / शिक्षकों के आवेदन अग्रेषित करते समय निम्नानुसार निर्देशों का पालन करते हुए तथा वांछित जानकारी प्रथम नियंत्रणकर्ता अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-


1. जिस प्राचार्य / व्याख्याता/शिक्षक के द्वारा प्रतिनियुक्ति चाही जा रही है, वह विद्यालय में अध्यापन कराते हैं या करा सकते हैं, कि जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें तथा जिन कक्षाओं का अध्यापन कार्य कराते है, उन कक्षाओं में कितने छात्र-छात्राएं दर्ज है।
2. यदि प्राचार्य / व्याख्याता / शिक्षक को प्रतिनियुक्ति हेतु प्रथम अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा अनापत्ति दी जा रही है, तो संबंधित के द्वारा अध्यापन कराने वाले छात्रों के अध्यापन की अन्य व्यवस्था क्या है / होगी ?
3. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन अग्रेषित करते समय प्रथम नियंत्रणकर्ता अधिकारी का स्पष्ट प्रमाणीकरण हो कि स्कूल के प्राचार्य/ व्याख्याता / शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर जाने से स्कूल का / छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रभावित नहीं होगा ।
4. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन अग्रेषित करते समय प्रथम नियंत्रणकर्ता अधिकारी यह भी स्पष्ट उल्लेख करें कि प्रतिनियुक्ति से रिक्त पद के लिए भविष्य में अतिरिक्त व्याख्याता / शिक्षक की मांग नहीं की जावेगी ।  
उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

  
आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 3-10-09

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.1/एम./49/2009/ 1399  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र., भोपाल
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल
4. संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
6. सहायक संचालक स्थानीय (स्थापना 1/2/3 )
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.

  
आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश